# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2024**
**(अपील संख्या :– 2991/2024)**

1. पीयूष पाटीदार पुत्र श्री कुबेर पाटीदार
2. राजेश कुमार पुत्र श्री रमन लाल
3. प्रिंसराज सिंह सिसोदिया पुत्र श्री दशरथ सिंह सिसोदिया
4. नितेश मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मीणा

**–प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर (राज.)।
4. बलराम सिंह जाखड़, कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी, एईएन कार्यालय जल संसाधन विभाग, सब डिवीजन द्वितीय, 16 डिवीजन, बीकानेर, निवासी जाखड निवास, तिलक नगर, बीकानेर।

**–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.10.2024
**आदेश की दिनांक** : 21.10.2024

**उपस्थित –**
**प्रार्थीगण की ओर से** : श्री दिनेश यादव एवं श्री महेन्द्र वर्मा अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

प्रार्थीगण ने अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.2024 पर पुनर्विचार किया जाए और अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि प्रार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर शर्तानुसार शिथिलता देते हुये पदोन्नत किया जावे।

प्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.2024 पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तथा अधिकरण द्वारा जारी अपील संख्या 2991/2024 से 2995/2024 जिसमें अपीलार्थी श्री बलराम सिंह जाखड़, हरविन्दर सिंह, रामलाल लोधा, गगनदीप सिंह एवं संजय शर्मा हैं, जिन्होंने राज्य सरकार के विरूद्ध उक्त अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे अधिकरण द्वारा दिनांक 30.09.2024 को निस्तारित करते हुये आदेश जारी किया गया। नियमानुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार मात्र यही है कि यदि जारी किया गया आदेश में अपील में उठाये गये समस्त बिंदुओं में से किसी बिंदु पर विचार नहीं हुआ हो, तो पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु अधिकरण द्वारा जारी उक्त आदेश के अवलोकन करने पर उक्त आदेश में प्रार्थीगण का नाम न तो अपीलार्थीगण हैं और न ही प्रत्यर्थीगण हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा निस्तारित की गई उक्त अपील में प्रार्थीगण न तो अपीलार्थी थे और न ही अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें अपील में पक्षकार बनाया गया। इस प्रकार हमारे मत में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.2024 के संबंध में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलार्थीगण अथवा प्रत्यर्थीगण को ही है। चूंकि प्रार्थीगण उक्त अपील में किसी भी प्रकार के कोई पक्षकार नहीं हैं और इस प्रकार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**